Printed at: 02-05-2025 06:44 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :विन्ध्याचल,जनपद :सोनभद्र,तहसील :दुद्धी
वाद संख्या :-RST/01794/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202116660201794
सरिता देवी बनाम जदुनाथ प्रसाद यादव
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र द्वारा दशरथ गुप्ता पुत्र बच्चा गुप्ता निवासी ग्राम हरनाकछार परगना व तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक–23.06.2021 बिल्कुल गलत बेबुनियाद खिलाफ कानून व सही तथ्यों के परे है इसलिए आदेश दिनांक–23.06.2021 निरस्त होकर मुकदमा उपरोक्त अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित कर गुण दोष के आधार पर मौके के अनुसार निस्तारण किया जाये। विक्रयपत्र दिनांक–05.04.2021 के आधार पर पारित आदेश दिनांक–23.06. 2021 बिल्कुल गलत है क्योंकि मौके पर आबादी बनी हुयी है एवं आबादी का दाखिल खारिज करने का अधिकार न्यायालय को नही है इसलिए आदेश दिनांक–23.06.2021 दोषपूर्ण है। विक्रयपत्र दिनांक–05.04.2021 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भूमि टीन शेड से आच्छादित है एवं कमरा है जिससे स्पष्ट है कि क्रेता व विक्रेता दोनों के संज्ञान में आबादी है इसके बावजूद दाखिल खारिज की कार्यवाही कर दी गयी है जो दोषपूर्ण है। विक्रीत आराजी सहखातेदारी की जमीन है जिसमें 27 खातेदार हैं तथा विक्रय के पश्चात् 8–10 खातेदार और हो गये हैं। इस प्रकार विक्रीत आराजियात में लगभग 30 से 40 खातेदार हैं तथा विक्रीत आराजी का बंटवारा नही हुआ है बिना बंटवारा किये विक्रयपत्र लिखने का विक्रेता को कोई अधिकार नही है। विक्रेता जदुनाथ यादव पुत्र स्व0 महादेव द्वारा जो विक्रयपत्र दिनांक–05.04.2021 को लिखा गया है वह जमीन तीन गाटों में है, वही तीनों गाटे जदुनाथ प्रसाद यादव द्वारा विक्रयपत्र दिनांक–06.09.2019 के द्वारा क्रय किया जाना कहा जाता है। विक्रयपत्र दिनांक–06.09.2019 में उपरोक्त तीनों गाटों में विक्रेता मनमोहन का विधिक अंश 1/48 होना लिखा गया है तथा आराजी नम्बर 1947 में विक्रेता रामा देवी का विधिक अंश 1/24 लिखा गया है जबकि मौके पर विधिक अंश 1/48 अथवा 1/24 के अनुसार कोई बंटवारा नही हुआ है। विक्रयपत्र दिनांक–06.09. 2019 की चौहद्दी पूरब विक्रेता की भूमि, पश्चिम दशरथ गुप्ता की भूमि उत्तर, विक्रेता की भूमि एवं दक्षिण दुद्धी–विण्ढमगंज मार्ग दिखाया गया है और विक्रयपत्र दिनांक 05.04.2021 की चौहद्दी पूरब दिव्यांशु वगै0 का क्रयशुदा भूमि, पश्चिम दशरथ का मकान, उत्तर अजय जायसवाल वगै0 व दक्षिण दुद्धी–विण्ढमगंज मार्ग दर्शाया गया है। इस प्रकार दोनों चौहद्दी अलग–अलग है। मुकदमा उपरोक्त में वर्णित आराजियात पर हम प्रार्थी का मौके पर कब्जा है। मुकदमा उपरोक्त के विक्रेता अथवा क्रेता से कोई सम्बन्ध नही है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आदेश दिनांक–23.06.2021 निरस्त करते हुए मुकदमा उपरोक्त को मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित कर गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाये।

vivo Y..0 Uttar Pradesh Sep 21, 2025, 14:45

Printed at: 02-05-2025 06:44 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल :विन्ध्याचल,जनपद :सोनभद्र,तहसील :दुद्धी
वाद संख्या :-RST/01794/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202116660201794
सरिता देवी बनाम जदुनाथ प्रसाद यादव
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

पत्रावली के सुनने के उपरान्त दिनांक–07.08.2024 को वाद मूल नम्बर पर कायम कर लिया गया। कायम करने के बाद पत्रावली के वादी को सम्मन इंतजार हेतु पैरवी किया गया। आपत्तिकर्ता अधिवक्ता द्वारा मौके की यथास्थिति के लेखपाल की जाच आख्या हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। लेखपाल की जाच आख्या पत्रावली में शामिल मिसिल है। पत्रावली के बावत् मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया व आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता का पक्ष सुना व पत्रावली में शामिल अभिलेखीय साक्ष्य को परिशीलन किया। नामान्तरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त व राजकोषीय प्रकृति की होती है, जिसमें मात्र भू–राजस्व की वसूली के लिए होता है। इसमें स्वत्व का निर्धारण नही होता है। नामान्तरण वाद में मात्र इतना देखना है कि विक्रय पत्र प्रतिफल के फलस्वरूप पंजीकृत विक्रयपत्र है तथा जातिगत बाधा नही है तथा राजस्व अभिलेखों में विक्रेता का नाम दर्ज है तो नामान्तरण किये जाने में कोई अवरोध नही है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरण आदेश दिनांक–23.06. 2021 में केवल चौहद्दी को लेकर विवाद है, चौहद्दी की निस्तारण करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नही होती है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता का आपत्ति प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये पूर्व पारित आदेश दिनांक–23.06.2021 को पुष्ट किया जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित राजस्व अभिलेखागार हो।

तहसीलदार,
दुद्धी–सोनभद्र।

प्रमाणित प्रतिलिपि
तहसीलदार
दुद्धी
12/9/25

595
प्र० पत्र सं० 793

पृष्ठ संख्या :

vivo Y400
Uttar Pradesh Sep 21, 2025, 14:

सेवा में
श्रीमान थाना प्रभारी महोदय
थाना विंढमगंज जनपद सोनभद्र

विषय- प्रार्थी के घर मे दीवाल तोड़कर समान चोरी कर ले जाने व कब्जा करने के सम्बन्ध मे-

प्रार्थीनापत्रद्वारा- रामधार गुप्ता पु० स्व० गोरी साव नि० ग्राम हलुवहार थाना विंढमगंज जनपद सोनभद्र

महोदय-
सविनय निवेदन पूर्वक अवगत कराना है। प्रार्थी ग्राम हलुवहार मोड़ के पास जमीन खरीद कर अपना मकान बनाया है। जिसमे आज दिनांक 13.9.2025 को समय 4 बजे लगभग प्रार्थी अपने घर कुछ समान गया तो ताले खोलकर दरवाजा का अन्दर सिटकिनी बन्द था। दरवाजा नही खुला प्रार्थी बगल से देखा तो प्रार्थी के घर मे अन्दर दरवाजे मे ताला बन्द व दीवार तोड़ा करके हुआ मिला पता करने पर पता चला कि बगल के दशरथ गुप्ता पु० बच्चा साव व रविन्द्र कुमार पु० दशरथ गुप्ता निवासी हलुवहार थाना विंढमगंज जनपद सोनभद्र द्वारा दीवार तोड़कर प्रार्थी घर मे रखे समान छड़ लगभग 10 बंडल सिमेंट 20 बोरी चौकी व बर्तन वगैरह रखा हुआ था प्रार्थी चल चलके प्रशासन 112 न० फोन किया मौके पर प्रशासन गयी जाँच किया तथा दोनो लोगो थाने लाया गया है। प्रार्थी का आपबीती घटना की सूचना दर्ज कर। उक्त लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है। कि प्रार्थी की आपबीती घटना की सूचना दर्ज कर उक्त लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा प्रदान करें।

दिनांक 13.9.2025 मो०- 7880556470

प्रार्थी
रामअधार

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प, प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of Delivery of	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official Delivering Copy
08/9/25	12/9/25	12/9/25	[signature]

न्यायालय तहसीलदार दुद्धी जनपद-सोनभद्र।
मु० नं० T202116660201794 सन् 2021
अ० धारा 34 उ०प्र० रा० सं० 2006
बावत ग्राम- हरनाकछार परगना व तहसील दुद्धी-सोनभद्र।
सरिता देवी बनाम जदुनाथ प्रसाद यादव

नकल आदेश दि० 7/3/25 पेज पर [illegible] संलग्न है।

vivo Y400
Kolin Diba Uttar Pradesh Sep 21, 2025, 14:45